अपील सूचना अधिकार संख्या 161/2020 (RCMS 2020/00284) ओमप्रकाश निवासी वार्ड नं. 27 वी.पी.ओ. लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर – 335037 बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओम प्रकाश स्वयं उपस्थित हुए अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ओम प्रकाश **ने कथन किया कि** उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2020 प्रस्तुत करके पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है चूंकि अब वांछित सूचनाएं उसे आज दिनांक 18.01.2021 को उसे प्राप्त हो गई है इसलिए वह इस अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (पंचायतीराज विभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्रांक एफ4(367) सू.अ./पंरावि/2020/50[illegible] दिनांक 10.07.2020 के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से वांछित सूचनाएं निश्चित समय अवधि में प्राप्त न होने के कारण यह अपील पेश करके वाछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की थी। चूंकि अब प्रार्थी को वांछित सूचनाएं आज दिनांक 18.01.2021 को उपलब्ध करवा दी है इसलिए वह अब अपनी इस अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः यह अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:26 IST
Reason: SelfAttested